धारा-124. निबन्धक तथा अधिकारी लोक सेवक होगे- निबन्धक अथवा कोई व्यक्ति जो धारा 64 के अधीन लेखा परीक्षण करने के लिए या धारा 65 के अधीन जॉच करने के लिए या धारा 66 के अधीन निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हो या जो निरीक्षण करने के लिए धारा 123 के अधीन प्राधिकृत हो, मध्यस्थ या मध्यस्थ मण्डल का सदस्य जिसे धारा 71 के अधीन कोई विवाद अभिर्दिष्ट किया जाये, अथवा न्यायाधिकरण का कोई सदस्य या परिसमापक या कोई व्यक्ति जो कुर्की और विक्रय के लिये धारा 93 के अधीन निबन्धक द्वारा प्राधिकृत हो इण्डियन पैनल कोड (ऐक्ट संख्या 45,1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक-सेवक(public servant) समझे जायेगे।